न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) आगरा।

वाद सं0 108/11–12

साईनाथ विकास समिति
द्वारा आकाश अग्रवाल बनाम उ0प्र0 सरकार

अ0धारा–143उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0
मौजा–कुण्डौल
तह0 व जिला– आगरा

प्रमाणित नकल आदेश दिनांक 11-11-11 मय तहसील आख्या, नजरी नक्शा

प्रार्थी साईनाथ विकास समिति द्वारा आकाश अग्रवाल पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल नि0 91 कावेरी बिहार फेस–1 राजपुर चुंगी शहर आगरा द्वारा मौजा कुण्डौल तह0 व जिला आगरा की स्थित गाटा सं01669 रकवा 0.8150है0 व 1670 रकवा 0.6470है0 भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ, अकृषि /आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय के आदेश दि0 01.11.11 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को भेजा गया। तहसीलदार सदर आगरा द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल एवं ना0तहसीलदार से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर उनकी आख्या दिनांक 07.11.2011 अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 08.11.2011 प्रस्तुत की। आख्या में उल्लेख किया गया है कि आवेदक प्रा0पत्र में उल्लिखित भूमि संक0भूमिधर दर्ज कागजात है। आवेदक का कब्जा है। प्रार्थी एकल खातेदार है। धारा 176 के अन्तर्गत बटवारे की जरूरत नही है। उल्लिखित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूमि के पास अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन रहे है। आस–पास आबादी बनी है। आबादी हेतु होने वाली भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति की पटट् की भूमि नही है। प्रश्नगत भूमि का किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि मे गॉव सभा, रा0 अस्थान, नगर निगम आदि की भूमि की सीमा का अतिक्रमण नही है। प्रश्नगत भूमि किसी महायोजना में प्रस्तावित नही है। प्रश्नगत भूमि कृषि,मत्स्य सबंर्धन, पशुपालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि के प्रयोग में नही आ रही है। प्रश्नगत भूमि में पक्का निर्माण कार्य हो रहा है,को उ0प्र0ज0 वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

तहसील की उक्त आख्या के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135(1) की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल, ना0तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर आगरा द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा पीली रोशनाई स्याही से प्रदर्शित किया गया है को, क्षेत्रीय लेखपाल ना0तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। नकल खतौनी सन् 1418फ0–1423फ0 में प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। व नकल खसरा सन् 1418फ0,1419फ0 तथा प्रार्थी का शपथ पत्र व फोटो संलग्न कर भेजा है। चूंकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृषि, पशुपालन, मत्सय, कुक्कुटपालन एवं बागवानी का कार्य नही किया जा रहा है। व तहसील आख्या के साथ संलग्नक शपथपत्र एवं स्थलीय फोटोग्राफ से सन्तुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि की खाता सं0361 गाटा सं01669 रकवा 0.8150है0, व गाटा सं01670 रकवा 0.6460है0 कुल 2किता रकवा 1.4210है0 मा0गु0 38.00रू0 धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 के सपठित नियम 135(3) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक उक्त आदेश का अंग रहेंगे। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली बाद आ0कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

11.11.11

(अनिल कुमार)
उप जिलाधिकारी (सदर)
आगरा

नकल सही है
मिलान सही है

प्रार्थी का नाम....आकाश अग्रवाल
प्रार्थना पत्र का दिनांक....25-4-16
प्रार्थना पत्र की संख्या....6775
तैयारी का दिनांक....26-4-16
स्टाम्प....52/-
शब्द 550
नकल देने का दिनांक 26-4-16

Secretary
Sai Nath Vikas Samiti
AGRA

ATTESTED
RAJEEV KUMAR SAXENA
Gazetted Officer, Distt. N...
DISTT. AGRA

(2)

आदेश्य

कार्यालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक) सदर आगरा क्र०3५ 1081/11-11

तहसीलदार सदर आगरा। आवेदक श्री [illegible] पुत्र [illegible] नि० 91 कावेरी विहार फेस I राजपुर चुंगी शहर आगरा का प्रार्थना पत्र ग्राम [illegible] तहसील व जिला आगरा के खाता सं० 361 के गाटा सं० 1669-रकबा 0.8150 है० व गाटा सं० 1670 रकबा 0.6460 है० कुल 2 किता रकबा 1.4[illegible] है० को उ०प्र० ज०वि० एवं भूमि व्य० अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत आबादी घोषित हेतु प्रस्तुत किया है। संलग्न कर आपके पास इस आशय से भेजा जा रहा है कि प्रा० पत्र की जाँच कर निम्न बिन्दु सहित विधिवत आख्या प्रस्तुत करें। जाँच की जाँच आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

1 - आवेदक के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भूमि सं० [illegible] [illegible] काबिज है। आवेदक का कब्जा है खतौनी खाता सं० 361 संलग्न है। प्रार्थी खतौनी की लिखित पते पर निवास करते हैं।

2 - प्रार्थी [illegible] खातेदार है। उल्लिखित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल हेतु प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है। धारा 176 के अन्तर्गत बटवारे की [illegible] नहीं है।

3 - प्रार्थी ने गाटा सं० 1669 व 1670 के पूर्ण भाग हेतु प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है।

4 - स्थलीय नजरी-नक्शा मय चौहद्दी संलग्न है। प्रश्नगत भूमि के आस पास व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन रहे हैं। आस पास आबादी [illegible] है।

5 - प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित 3 वर्षों के खसरा सत्यापित प्रति संलग्न है।

6 - प्रश्नगत भूमि किसी महायोजना में प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि कृषि, मत्स्य-संवर्धन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि के प्रयोग में नहीं आ रही है।

7 - आबादी घोषित हेतु भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति की नहीं है।

8 - प्रश्नगत भूमि का किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि में [illegible] कार्य हो रहा है।

9 - प्रश्नगत भूमि में राजकीय आस्थान, नगर निगम, ग्राम सभा भूमि की जमीन का अतिक्रमण नहीं है।

10 - प्रश्नगत भूमि की धारा 143 ज०वि० अधि० एवं भू० व्य० अधि० के प्राविधानों के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

संलग्न - प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, खतौनी, खसरा-3 वर्ष, नजरी-नक्शा,

ज०वि०अ०, 45, [illegible] 135,

[illegible] 07-11-11

[illegible] कुमार [illegible]

[illegible]

महोदय

लेखपाल की आख्या सन्तुष्टि प्रमाण है

अग्रिम प्रेषित। [illegible] [illegible] 7-11-2011

[illegible] [illegible] हेतु प्रस्तुत

[illegible] 8.11.11

महोदय

[illegible]

ATTESTED

Secretary

Sai Nath Vikas Samiti

AGRA

[illegible] KUMAR SAXENA

Gazetted Officer/Distt. Notary

DISTT. AGRA

स्व अभिलेखागार अनुभाग कलक्ट्रेट आगरा

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के नियम 135 (1) के अन्तर्गत प्रारूप

ग्राम = कुण्डौल तहसील = सदर जिला = आगरा

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम उसके पिता का नाम और निवास स्थान	खाता खतौनी की संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मालगुजारी	गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल (क) गाटा सं०	(ख) क्षेत्रफल	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाता है।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	मालगुजारी
कुण्डौल	साईनाथ विकास समिति द्वारा सचिव आकाश - अग्रवाल पुत्र श्री जयप्रकाश अग्रवाल नि० 91 कावेरी विहार फेस I राजपुर-चुंगी शहर आगरा	361	1.4810	38.90	1669	0.8150	शैक्षणिक कार्य हेतु	38.00
					1670	0.6460		
					2 किता	1.4610 हे०		

राजस्व अभि० अनुभाग कलक्ट्रेट, आगरा

ATTESTE[D]

Secretary
Sai Nath Vikas Samiti
AGRA